भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

एस.ए.आर वाद सं. 01/2011–12

सुरीन सामाड एंव अन्य 2

बनाम

शशि भूषण सामाड

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर व गई कारवाइ
	यह वाद सुरीन सामाड वो सालुका जोगेन सभी के पिता स्व. दासार सामाड, ग्राम बड़ोदोरा, पो. गोपीनाथपुर, थाना चक्रधरपूर, जिला प. सिंहभुम में शशि भुषण सामाड, पिता स्व. चन्द्रमोहन सामाड, ग्राम बड़ोदोरा, थाना चक्रधरपूर के विरूद्व छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71(A) के अंतर्गत भूमि वापसी (एस.ए.आर.) हेतु आवेदन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर के न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदन ने अपने आवेदन में कहा है कि वे ग्राम बड़ोदोरा के खाता सं. 118, प्लॉट सं. 1470, रकवा 0.18ए एवं प्लॉट सं. 1465 रकवा 0.13ए. कुल रकवा 0.31ए. खतियान रैयत मनी कुई के पुत्रगण हैं। आवेदकगण का आगे कहना है कि खतियान रैयत ने प्रतिवादी को मौखिक बंधक में उपरोक्त भूमि खेती के लिए पांच वर्षो के लिए अर्थात् वर्ष 2004 तक के लिए दिया गया था। उसके बाद आवेदकगण अपनी माता मनी कुई के साथ उपरोक्त भूमि के शांतिपूर्ण दखल में आकार वर्ष 2004 एवं 2005 को धान की खेती किए। परन्तु प्रतिवादी प्रश्नगत भूमि डरा धमका कर जबरन दखल करना चाहते हैं। प्रतिवादी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि को उनके द्वारा कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादी पिछले तीन साल से बिना किसी वैद्य हकियत के प्रश्नगत भूमि पर जबरन दखल किए हैं। साथ ही आवेदकगण द्वारा लगातार प्रश्नगत भुमि का मालगुजारी देते आ रहे हैं। अतः आवेदकगण न्यायालय से छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा 71(A) के अंतर्गत भूमि वापसी हेतु आग्रह किए हैं। न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को नोटिस एंव अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिनियम, चक्रधरपुर द्वारा इस वाद से संबंधित निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन एवं जांच प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित किया गया। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने अपने पत्रांक 98 दिनांक 21.02.2012 द्वारा प्रतिवेदन किया है कि खाता 118, खसेरा सं. 1465 एवं 1470 क्रमशः बड़ा दासर हो एवं मोसमात सुनी कुई के नाम दखल दर्ज है। यह वाद से संबंधित भूमि संयुक्त खाते की है। खाते में वर्तमान में तीन अंशदार जीवित हैं।	

वंशावली

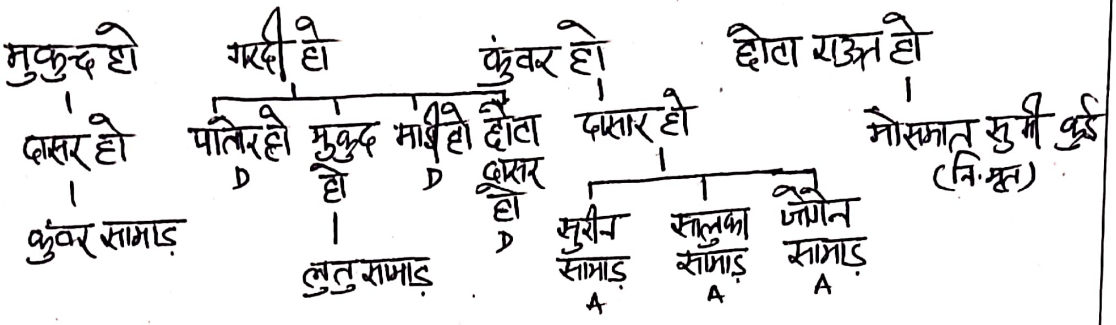

खाते के सभी अंशदारों के बीच कोई आपसी भूमि बंटवारा नहीं है। साथ ही स्थानीय जांच में उक्त भूखंड आवेदन के द्वारा प्रतिवेदन को 2004 तक पांच वर्षों क लिऐ बंधक पर राशि लेकर दिया गया था। बंधक अवधि समाप्त होने के पश्चात् हाल वर्ष तक उक्त भूखंड में प्रतिवादी द्वारा फसल उगायी गयी।

अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में एवं आवेदक द्वारा समर्पित शपथ पत्र में उल्लेखित बिंदुओं पर प्रतिवादी द्वारा कोई भी प्रत्युतर एवं साक्ष्य न्यायलय में समर्पित नहीं किया गया है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) A में रैयत अपनी भूमि का हस्तांतरण बंधक या लीज के रूप में पांच साल से अधिक नहीं कर सकता हैं। अतः आवेदक को स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को दखल दिहानी का आदेश देते हुए आदेश की प्रति भेजें।

16.09.2016

लेखापित एवं संशोधित

भुमि सुधार उप समाहर्ता
चक्रधरपुर

16.09.2016

भुमि सुधार उपसमाहर्ता
चक्रधरपुर

Digitally signed by KUSHALMY KINETH MUNDU
Date: 2025.01.10 17:17:01 +05:30
Location: 10.93.69.133